राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812, ई–मेलः– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक : रा0पी0प्र0/स्वा0 प्रबं0/SSB Meeting/2020/23 दिनांक : 15.01.2021

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 23.12.2020 को प्रातः 11 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की वीडियो कॉन्फ्रेंस/बैठक, पदेन अध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर की उपस्थिति में आरएचएसडीपी हॉल, स्वास्थ्य भवन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य सम्बन्धित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक के एजेण्डा आइटम का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के राजस्थान राज्य में क्रियान्वयन बाबत् किये जा रहे कार्यो एवं प्रयासों के संबंध में माननीय सदस्यों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। निर्देशानुसार बैठक में एजेण्डा आइटम्स पर बिन्दुवार चर्चा कर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की पूर्व बैठक दिनांक 18.11.2019 में लिये गये निर्णयों पर परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) महोदया द्वारा प्रस्तुत की गई पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
2. माननीय बोर्ड को इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध डाटा विश्लेषण के बारे में वैज्ञानिक–डी (एनआईसी) द्वारा अवगत कराया गया जिस पर शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग महोदय द्वारा सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध डाटा का विश्लेषण एमएनआईटी या अन्य विश्लेषक संस्थान से नहीं कराया जाकर डेटा का विश्लेषण विभाग स्तर पर ही कराये जाने के निर्देश प्रदान किये क्योंकि उपलब्ध डेटा का किस प्रकार विश्लेषण किया जाना है कि बेहतर जानकारी विभाग एवं संबंधित अनुभाग को होती है।

   उक्त निर्देशों के संबध में परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) द्वारा अवगत कराया कि इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध डाटा का विश्लेषण पीसीपीएनडीटी अनुभाग द्वारा किया जाता है किन्तु डाटा काफी बडी मात्रा में है साथ ही विश्लेषण के क्रम में संबंधित व्यक्तियों/गर्भवती महिलाओं से दूरभाष पर जानकारी भी प्राप्त की जाती है एवं पीसीपीएनडीटी अनुभाग में मानव संसाधन की कमी है। इस पर शासन सचिव महोदय द्वारा मिशन निदेशक (एनएचएम) को पीसीपीएनडीटी अनुभाग में DEO अनुभाग से इस हेतु सहयोग करने/मानव संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश प्रदान किये गये।

राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 की सख्ती से पालना एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा विकसित पीसीटीएस डाटा का विश्लेषण किये जाने के निर्देश माननीय बोर्ड द्वारा दिये गये एवं इस हेतु निदेशक (आरसीएच) एवं डेमोग्राफर प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाये जाने के निर्देश भी प्रदान किये गये।

3. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) द्वारा प्रस्तुत राज्य में निरीक्षणों की रिपोर्ट का अवलोकन कर अधिनियमानुसार निरीक्षण नहीं होने के कारण शासन सचिव महोदय द्वारा राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) महोदय को राज्य में अधिनियमानुसार निरीक्षण किये जाने हेतु जिलों में पदस्थापित समुचित प्राधिकारिगण को वीसी के माध्यम से निरीक्षणों हेतु निर्देश प्रदान किये जाने एवं राज्य में विशेष निरीक्षण अभियान आयोजित किये जाने के निर्देश प्रदान किये।

4. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की विगत बैठक 18.11.2019 में लिये गये निर्णयानुसार जिलों में पदस्थापित पीसीपीएनडीटी समन्वयकों को उनके पदस्थापन जिले से अन्यत्र जिले में लगाये जाने बाबत् पीसीपीएनडीटी अनुभाग द्वारा जारी पत्र/आदेश क्रमांक 135 दिनांक 13.03.2020 पर राज्य में नियुक्त पीसीपीएनडीटी समन्वयकों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश पर चर्चा करते हुये निर्णय लिया गया कि जिलों में नियुक्त पीसीपीएनडीटी समन्वयकों के पदस्थापन से अब तक कार्यों की उपयोगिता की समीक्षा, जिले के बाल लिंगानुपात, प्राप्त कार्य आवंटन की समय से पूर्णता, दक्षता एवं जिले में डिकॉय नहीं होने के कारणों के आधार पर की जाकर समन्वयकों की रैंकिंग तय करते हुये मिशन निदेशक (एनएचएम)/निदेशक (आरसीएच) द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाये।

5. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की पूर्व बैठक दिनांक 18.11.2019 में माननीय सदस्या श्रीमती शकुन्तला रावत, विधायक बानसूर जिला अलवर द्वारा प्रस्तावित सुझाव "**परिवार में एक से अधिक जीवित कन्या को एक यूनिट माना जाये**" पर चर्चा करते हुये निर्णय लिया गया कि यह विषय राजस्थान सरकार के स्तर का है अतः इस संबंध में अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं की जाये।

6. माननीय मंत्री महोदय द्वारा बोर्डर स्टेट पर विशेष निगरानी की जरूरत के मददेनजर निर्देशित किया कि सीमावर्ती जिलों की गर्भवती महिलाएं अन्य राज्यों में भ्रूण लिंग परीक्षण हेतु ना जाये जिससे राज्य का लिंगानुपात कम ना हो एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोका जा सके। इस पर परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त उद्देश्य से बोर्ड के निर्देशानुसार पडोसी राज्यों के साथ एक अन्तर्राज्यीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें सहभागी राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश आदि के प्रतिनिधियों के साथ भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त व्यक्तियों/गिरोहों की सूचना के आदान–प्रदान पर भी सहमति बनायी गयी। साथ ही सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है।

7. राज्य में अवैध भ्रूण परीक्षण को रोके जाने हेतु अपंजीकृत/अवैध/अक्रियाशीन सोनोग्राफी मशीनों के उपयोग को रोका जाना आवश्यक बताते हुये माननीय मंत्री महोदय द्वारा राज्य में पंजीकृत सोनोग्राफी मशीनों का सम्पूर्ण ब्यौरा विभाग के पास होना आवश्यक बताया एवं केन्द्रों/सोनोग्राफी मशीनों की संक्षिप्त रिपोर्ट बनाये जाने के निर्देश प्रदान किये।

8. माननीय मंत्री महोदय द्वारा राज्य में अधिनियम की सख्ती से पालना एवं क्रियान्वयन हेतु भ्रूण लिंग परीक्षण में संलिप्त व्यक्तियों की सूचना हेतु सूचनातंत्र को और अधिक विकसित

किये जाने एवं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध डिकॉय कार्यवाही में वृद्धि किये जाने के साथ ही जिन जिलों में लिंगानुपात कम है उन्हें अति संवेदनशील जिलों में शामिल कर, इन जिलों में ज्यादा सतर्कता के निर्देश भी प्रदान किये।

9. माननीय सदस्या श्रीमती अंजू शर्मा के सुझाव पर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधिनियम की सख्ती से क्रियान्विति के साथ ही साथ जनमानस को जागरूक करने के लिये सघन जागरूकता अभियान चलाया जाये।

10. माननीय मंत्री महोदय द्वारा शुभारम्भ किये गये **इम्पेक्ट मोबाइल एप** की कार्य प्रणाली से परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) द्वारा बोर्ड को अवगत कराते हुये जानकारी दी गई कि अधिनियमानुसार समुचित प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत केन्द्रों के निरीक्षण किये जाने हेतु इस इम्पेक्ट मोबाइल एप पर निरीक्षण प्रारूपों को निरीक्षण के समय ही अपलोड कराये जाने का प्रावधान है साथ ही केन्द्र की एक संक्षिप्त जानकारी भी इस इम्पेक्ट मोबाइल एप में डाली गई है जिससे समुचित प्राधिकारिगण एवं पंजीकृत केन्द्रों को इस एप से कार्यो को करने में काफी सुविधा व सरलता प्राप्त होगी साथ ही पारदर्शिता भी विकसित होगी।

11. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) द्वारा माननीय बोर्ड को अवगत कराया कि राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अनुसार पंजीकरण किये जाने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किये जाने हेतु भी कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं राज्य में ऑनलाइन प्रक्रिया से पंजीकरण किये जाने की तकनीकी प्रक्रिया का परीक्षण किया जा रहा है एवं राज्य में जल्द ही परीक्षण पूर्ण कर ऑनलाईन प्रक्रिया से पंजीकरण प्रारम्भ कर दिया जायेगा इस पर शासन सचिव महोदय द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के तकनीकी परीक्षण को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किये गये।

12. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग से मुखबिर प्रोत्साहन योजना हेतु जारी दिशा निर्देशों एवं डिकॉय गाइड लाइन में परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव रखा जिस पर शासन सचिव महोदय द्वारा प्रस्तावों को पत्रावली पर प्रस्तावित कर प्रस्तुत कराये जाने के निर्देश प्रदान किये।

13. बैठक में चर्चा दौरान माननीय सदस्य श्री राजीव आहुजा द्वारा निजी केन्द्रों की सोनोग्राफी मशीनों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपग्रेड कराये जाने की जानकारी दिये जाने पर राज्य में राजकीय चिकित्सालयों में संचालित पुरानी सोनोग्राफी मशीनों का वेरिफिकेशन कर इन सोनोगाफी मशीनों को निजी केन्द्रों की भांति अपग्रेड कराया जाने बाबत् निदेशक (जन स्वा)/अति. निदेशक (चिकित्सा प्रशासन) को चर्चा से अवगत कराने के निर्देश माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये।

14. श्री के.के. पाठक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में जन्म पर बाल लिंगानुपात में वृद्धि होना बताते हुये अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आशा सहयोगिनी/एएनएम की सहायता ली जाकर उनको भी प्रेरित किये जाने एवं उनको समय समय पर प्रोत्साहन दिये जाने के सुझाव दिया गया। इस पर आशा/एएनएम से किस प्रकार कार्य कराया जाये जिससे जिलों में भ्रूण लिंग परीक्षणें में लिप्त संदिग्धों की निगरानी एवं सूचना प्राप्त हो सके, इस हेतु निदेशक (आरसीएच) महोदय को परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) के साथ मिलकर कार्य योजना बनाने के निर्देश भी शासन सचिव महोदय द्वारा प्रदान किये गये।

साथ ही श्री पाठक द्वारा भ्रूण लिंग परीक्षण न कराये जाने की जागरूकता के मददेनजर शिक्षा विभाग से समन्वय कर पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 को शैक्षणिक गतिविधियों में जोडे जाने का सुझाव दिया।

- बैठक का समापन अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) महोदय द्वारा राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सभी प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद के साथ किया गया।
- आगामी बैठक अधिनियमानुसार आगामी चार माह के अन्तर्गत आयोजित की जायेगी।

15.01.2021

अतिरिक्त निदेशक (प0क0) एवं
सदस्य सचिव, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। **(Email :- sahealthminister@gmail.com)**
2. श्रीमती शकुन्तला रावत, माननीय विधायक, बानसूर जिला अलवर, एफ–9, विधायकपुरी जयपुर। **(pwccra@gmail.com)**
3. श्रीमती निर्मला सहरिया, माननीय विधायक, किशनगंज जिला बारां, एन–39, गांधी नगर, जिा जयपुर। **(nirmlasahariya88@gmail.com)**
4. श्रीमती मंजू देवी, माननीय विधायक, इण्डियन पब्लिक स्कूल, बाईपास रोड, जायल जिला नागौर। **(omprakash941336@gmail.com)**
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। **(Email :- ph-sje@rajasthan.gov.in)**
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर। **(Email :- secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com)**
8. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। **(Email:- adc.wcd@rajasthan.gov.in) (Email:- director.wcd@rajasthan.gov.in)**
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर। **(Email:- dir.ayu@rajasthan.gov.in) (Email:- addldir.ayu@rajasthan.gov.in)**
10. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. श्री बी.एस. नन्दवाना, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं उप सचिव, विधि (वादकरण) विधि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
13. श्रीमती कविता मलिक, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) निवासी– 194, गोविन्द नगर पूर्व, आमेर रोड़, जयपुर। **(Email :- kavitamalikjaipur@gmail.com)**
14. रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, राजस्थान, जयपुर।**(Email:- rajmedcouncil@yahoo.co.in)**
15. निजी सहायक, निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर
16. निजी सहायक, निदेशक (**SIHFW**), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर। **(Email:- amitakashyap1@gmail.com)**

17. अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
18. डॉ0 एस.एल. शर्मा, सामाजिक विज्ञानी, सामाजिक विज्ञान विभाग, ई–3, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर(**Email :- drsls14@hotmail.com**)
19. श्री एस.पी. दाधीच, विधि विशेषज्ञ, राजस्थान जयपुर।
20. डॉ. पायल भारद्वाज, महिला कार्यकर्ता, राजस्थान जयपुर।
21. **मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 396, उद्योग नगर निवारू रोड, झोटवाडा, राजस्थान जयपुर (Email :- manjusharma3041@gmail.com)**
22. अंजू शर्मा, वरिष्ठ आचार्य गायनी एवं महिला रोग विशेषज्ञ, मैक्सवेल हॉस्पिटल झोटवाडा रोड दूध मण्डी चौराहा, राजस्थान जयपुर **(Email :- apmat87@gmail.com**
23. डॉ. इन्दू गौतम, सहायक आचार्य गायनी एवं महिला रोग विशेषज्ञ, जनाना हॉस्पिटल, राजस्थान जयपुर **(Email :- indug75@gmail.com, mrc.jaipur@hotmail.com)**
24. डॉ. विवेक शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ, राजस्थान जयपुर।
25. डॉ. एम. एल. गुप्ता, आनुवांशिकी विज्ञानी, जे. के. लोन हॉस्पिटल, राजस्थान जयपुर ((**Email :- drmlguptajpr@yahoo.com, pediatricemedicinesms@gmail.com)**
26. डॉ. राजीव आहूजा, रेडियोलॉजिस्ट, 37 लक्ष्मण पथ श्याम नगर, सोडाला, राजस्थान जयपुर **(Email :- drrajivahuja@rediffmail.com)**
27. डॉ. मनोज कुमार जैन, सोनोलॉजिस्ट, राजस्थान जयपुर।
28. परियोजना निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
29. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीबीआई), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
30. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
31. श्री मनोज पकाश, वैज्ञानिक–डी एनआईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
32. सलाहकार आईटी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिवस को पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति की समुचित व्यवस्था करावें।
33. प्रभारी, पीबीआई/प्रभारी, अपराध शाखा/विधि विशेषज्ञ, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/राज्य समन्वयक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/सलाहकार आईईसी/सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।
34. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
35. संबंधित रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।